

05 ⁰⁹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कपीलानंद
हाजिर नहीं। वकील कपीलानंद को रेस्पोंडेंट
खंणा 02 को सम्मन रजिस्टर्ड ए.पी. सी
रसीद प्रस्तुत करने की बार बार हिदायत
दी गई, परन्तु वकील कपीलानंद द्वारा आज
दिनांक तक रसीद प्रस्तुत नहीं की।

अतः सम्मन बलवाना के क्रम में
अपील खारिज की जाती है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
सुरतगढ, जिला श्री गंगानगर

